Email : mazdoormorcha@yahoo.co.in

मज़दूर मोर्चा

पाक्षिक

नेट पर उपलब्ध :
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 R.N.I. No. 66400/97

श्रममंत्री के संरक्षण में मज़दूरों का शोषण 3
...क्योंकि वह संजू बाबा है 4
गुंडे, लुटेरे, जमूरे
पत्रकारिता का 'पेड' पक्ष 6
दुनिया पर खाद्यान्न संकट के मंडराते बादल 7

वर्ष 26 अंक 10 फरीदाबाद, सोमवार, 1-15 अप्रैल 2013 फोन : - 9999595632 सहयोग राशि 2 रुपया

विकास कार्य कटेंगे तो वेतन बटेंगे

हर बार की तरह इस बार भी नगर निगम का बजट जनता के साथ छलात्कार

फ़रीदाबाद (म.मो.) करीब डेढ़ माह की देरी से, दिनांक 26 मार्च को नगर निगम का वर्ष 2013-14 का बजट पेश करने की औपचारिकता निभा दी गयी। याद नहीं आता कि पिछले किसी बजट में दिखाये गये आंकड़ों के अनुसार आय अथवा व्यय हुआ हो। छोटा-मोटा अन्तर हो तो बात समझ में आती है, पचास-पचास प्रतिशत तक का अन्तर होना आम बात रही है।

पूरा बजट एक छलावा है। इसमें आय तो बढ़ा-चढ़ा कर कई गुणा दिखाई जाती है जिससे भारी भरकम प्रशासनिक खर्चों पर कोई उंगली न उठा सके। क्योंकि प्रशासनिक फ़िजूलखर्चियों एवं बंदरबांट के लिये ज़्यादा से ज़्यादा रकम चाहिये होती है। यदि आय के अनुमानित आंकड़े खूब बढ़ा-चढ़ा कर दिखाये जायेंगे तो प्रशासनिक खर्चों को बजट में कम करने को कोई नहीं कह पायेंगा। जैसे-जैसे वर्ष बीतता जाता है आय के वास्तविक आंकड़े जो कई गुणा कम होते हैं, प्रकट होने लगते हैं। जाहिर है तब प्रशासनिक खर्चे तो घटाये नहीं जा सकते इसलिये विकास कार्यों के मद से भारी कटौती करना स्वाभाविक हो जाता है। वैसे भी विकास कार्यों की गति इतनी धीमी रखी जाती है कि कटौती ही एक मात्र विकल्प नज़र आती है। इस बार अनुमानित आय करीब 1425 करोड़ की दिखाई गयी है। इसमें जनता से वसूले जाने वाले विभिन्न टैक्सों व शुल्कों से होने वाली आय का अनुमान 571 करोड़ का लगाया गया है। गत दो वर्षों के आंकड़े बताते हैं कि इस मद में वसूली हमेशा अनुमान से लगभग आधी रही है। उस अनुभव को ध्यान में रखते हुए माना जा सकता है कि इस बार भी यह वसूली 250 से ले कर 300 करोड़ तक में सिमट जायेगी। बजट में सबसे बड़ा आय का स्रोत निगम की जायदादों की बिक्री से तथा सरकार से मिलने वाले अनुदानों व कर्जों से दिखाया गया है। इस मद में करीब 850 करोड़ रुपये की प्राप्ति का अनुमान लगाया गया है।

शेष पेज 2 पर

किसका नगर, किसका निगम

पुलिस की कार्यशैली से तगड़े होते गुंडों ने

ए सी पी के सामने पीड़ित को पीटा

फ़रीदाबाद (म.मो.) दिनांक 25 मार्च को एन आइ टी के ए सी पी रमेशपाल की मौजूदगी में जिस तरह से दर्जन भर गुंडों ने बीच शहर में मनीष बत्रा पर जानलेवा हमला करने के साथ-साथ उसकी कार को तहस नहस कर दिया, उस से साबित होता है कि शहर में सक्रिय गुंडों को अब किसी का कोई खौफ़ नहीं रहा। कानून का तो कभी था ही नहीं पुलिस का जो थोड़ा बहुत बचा था वह भी अब पूरी तरह से समाप्त हो गया दिखता है।

एन आइ टी नम्बर 5 के रहने वाले मनीष बत्रा ने अपने कार्यालय के सामने बैठने वाले एक बदमाशों के गिरोह की रोजमर्रा की गुंडागर्दी के विरूद्ध थाने में मुकदमा दर्ज कराया था 14 दिसम्बर 2012 को। अपनी आदत के मुताबिक पुलिस ने गुंडा गिरोह के विरूद्ध जब कोई कार्यवाही नहीं की तो मनीष कुछ प्रभावशाली लोगों को ले कर पुलिस आयुक्त से मिला। उनके आदेश पर ए सी पी रमेशपाल हरकत में आये और मौका मुआयना करने मनीष की गाड़ी में बैठ कर चल दिये। सिविल ड्रेस में मौका मुआयने के बाद जब उसी गाड़ी से वे वापस अपने कार्यालय लौट रहे थे तो उनके कार्यालय के निकट ही गुंडा गिरोह की दो गाड़ियों व मोटरसाइकिलों पर सवार दर्जन भर से अधिक गुंडों ने मनीष की गाड़ी को घेर कर रोक लिया। पिटता हुआ मनीष भाग कर एक कोयला कम्पनी के दफ़्तर में घुस गया। यद्यपि ए सी पी तो इन्कार करते हैं। परन्तु प्रत्येक दर्शियों के मुताबिक जाने अनजाने थोड़ी सी मार पीट उनके साथ भी हुई थी। लेकिन जब गुंडों को उन्होंने अपना परिचय दिया तो वे भाग खड़े हुए।

सिविल ड्रेस में मौका मुआयने के बाद जब उसी गाड़ी से वे वापस अपने कार्यालय लौट रहे थे तो उनके कार्यालय के निकट ही गुंडा गिरोह की दो गाड़ियों व मोटरसाइकिलों पर सवार दर्जन भर से अधिक गुंडों ने मनीष की गाड़ी को घेर कर रोक लिया।

तुरन्त बाद थाना एन आइ टी व एस जी एम नगर की 'मुस्तैद' पुलिस भी लकीर पीटने वहां पहुंच गयी। और उनकी मुस्तेदी का आलम यह कि कोयला कम्पनी के कार्यालय में लगे सी सी टी वी में सारी वारदात दर्ज होने के बावजूद नामजद गुंडों में से एक की भी गिरफ़्तारी खबर छपने तक नहीं हो पायी थी। एक ए सी पी की मौजूदगी में दिन दहाड़े बीच बाज़ार में होने वाली इस वारदात के चार दिन बाद तो इसकी जांच के आदेश दिये गये हैं, ए सी पी सराय दर्शन लाल मलिक को। कई दिनों तक जांच का ड्रामा चलेगा। इस बीच गुंडा गिरोह मनीष पर दबाव बनाने के साथ-साथ पुलिस को भी प्रभावित करने के लिये साम, दाम, दंड, भेद का पूरा इस्तेमाल करेगा।

शेष पेज 2 पर

ख़बर दार

सुप्रीम कोर्ट को गुस्सा किस पर आता है?

सुप्रीम कोर्ट ने अपने तेवर गैरकानूनी हद तक जाकर भी दोनों हत्यारोपी इतालवी मैरीन की भारत में पेशी निश्चित करा ली। राष्ट्रीय मीडिया ही नहीं बल्कि भारतीय संसद तक ने इस मामले को राष्ट्रीय साख का प्रश्न बना दिया था। समय पर इतालवी मैरीन, जिन पर केरल के समुद्र में दो भारतीय मछुआरों को बिना वजह (भ्रमवश ?)गोली मारने का आरोप है, को अपना मुकदमा भुगतने के लिये भारत वापस न भेजने के इतालवी सरकार के निर्णय से उपजा यह राष्ट्रवादी ज्वार अन्यथा चलता ही रहता।

सुप्रीम कोर्ट ने अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों की हदें लांघने का खतरा उठा कर भी इटली के राजदूत को तलब करके उनके भारत छोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया। देखा देखी प्रधानमंत्री, विदेश मन्त्री और यहां तक कि कांग्रेस सुप्रीमों इतालवी मूल की सोनिया गांधी के चुनौती भरे वक्तव्य आने लगे। मुख्य विपक्षी दल भाजपा समेत तमाम अन्य राजनीतिक दल तो सरकार की किरकिरी में लगे ही थे। लिहाजा इटली सरकार झुकी और दोनों नौसैनिक भारत भेजे गये। सुप्रीम कोर्ट का गुस्सा इस बात को लेकर था कि उनसे वायदा खिलाफ़ी की गई। दोनों मैरिन के लिये वोट डालने की छुट्टी मांगते समय ही उनके वापस आने की तिथि भी तय कर दी गई थी।

अचानक इटली सरकार द्वारा उन्हें वापस न भेजने की घोषणा की गई और सुप्रीम कोर्ट का गुस्सा फट पड़ा। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के गुस्से में बड़ा दम है। भारत सरकार की तो औकात ही क्या, विदेशी सरकारें भी उसके आदेशों के सामने पानी भरती हैं। उन्होंने पहले भी कई अंतरर्राष्ट्रीय मामलों में, इतना प्रत्यक्ष तो नहीं, पर अप्रत्यक्ष सफल हस्तक्षेप किये हैं। यह बात अलग है कि अगर सामने अमेरिका जैसी महाशक्ति हो तो इस अदालत के निर्णय के तेवर भी पलट जाते हैं। मसलन दिसम्बर 1984 का लोम हर्षक भोपाल गैस कांड के मुख्य आरोपी अमेरिकी पूंजीपति एंडरसन का मामला।

इस कांड को अंजाम देने वाली कंपनी यूनियन कार्बाइड के मुख्य कार्यकारी एंडर्सन पर कहां तो हजारों व्यक्तियों की हत्या और कई पीढ़ियों को अपंग करने के आरोप में मुकदमा चलना चाहिये था, पर उसे एक दिखावटी जमानत के आधार पर देश से चुपचाप जाने दिया गया। यह तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और तत्कालीन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की सक्रिय मिली भगत से संभव हुआ था। एंडरसन मुडकर वापस नहीं आया और अमेरिकी सरकार ने हमेशा यह स्टैंड लिया कि उसे वापस नहीं भेजा जा सकता।

शेष पेज 2 पर

- त्रिनेत्र

नौसैनिकों पर भारी : एंडरसन से हारी